

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937

No. 153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/PAUSA 30, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ. 175(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.09.2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 2447(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः ईएम, डीडीए की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त दस आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया गया है और जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी कर दिया गया है।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन जी में आने वाले निम्नलिखित भूमि क्षेत्र के उपयोग में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है:-

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो.-2021)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
जोन 'जी', बसईदारापुर, रिंग रोड स्थित शिवाजी पार्क	8367.10 वर्ग मी.	'मनोरंजनात्मक' (पी2-जिला पार्क)	परिवहन (टी3-एम आर.टी.एस परिचालन)	उत्तर: जिला पार्क दक्षिण: जिला पार्क पूर्व: रिंग रोड 60 मी. मार्गाधिकार पश्चिम: जिला पार्क

[फा. सं. के-13011/31/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O. 175(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2447(E) dated 20.09.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas ten objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry & Hearing set up by Delhi Development Authority under the Chairmanship of EM, DDA and also approved in the meeting of Delhi Development Authority.

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone-G is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Shivaji Park at Basai Darapur, Ring Road, Zone-G	8367.10 sqm.	'Recreational (P-2 District Park)'	Transportation (T3-MRTS Circulation)	North - District Park South - District Park East - Ring Road 60.0 mt. ROW West - District Park

[F. No. K-13011/31/2014-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.